दिनांक 14 अगस्त, 2015 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वर्ष 2015–16 हेतु ग्राम पचायतों को संक्रमित की गई/संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमत्री जी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को बीजापुर अतिथि गृह में पूर्वान्ह 10:00 बजे निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक आहूत की गयी:–

1. **श्री राकेश शर्मा, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **श्री रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव, वन/उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।**
3. **श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।**
4. **श्री विनोद फोनिया, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।**
5. **श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

बैठक में सचिव, पंचायतीराज द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश की तीनों स्तरों की पंचायतों को धनराशि का संक्रमण किया जाता था, जबकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में मात्र ग्राम पंचायतों के लिये ही धनराशि के संक्रमण की संस्तुति की गयी है।

वर्ष 2015–16 के लिये संस्तुत रू0 203.26 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 719/XXVII(1)/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रथम किश्त के रूप में रू0 101.63 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। चूँकि 14वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार ग्राम पंचायत के स्तर पर आवंटित की जाने वाली राशि में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्षित है, अतः धनराशि के सदुपयोग हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को संक्रमित हो रही/होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि, राज्य सरकार/मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर मार्ग–निर्देश निर्गत होने के उपरान्त व्यय की जाय। अवशेष 50 प्रतिशत राशि वित्त विभाग के शासनादेशानुसार ग्राम पंचायत की बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार योजना बनाकर व्यय की जाय।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) की धनराशि ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना के निर्माण हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के निवर्तन पर रखी जाये।
3. धनराशि के सदुपयोग हेतु योजनाबद्ध रूप से दीर्घकालिक योजना बनाकर ही वित्त आयोग की धनराशि व्यय की जाय। इस निमित्त ग्राम पंचायतों द्वारा समन्वित विकास हेतु संचालित योजनाओं को **"डॉ0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना"** नाम प्रदान करते हुए क्रियान्वित की जाय। इस योजना में अन्य विभागों की योजनाओं से भी धनराशि का अभिसरण किया जा सकेगा।
4. **"डॉ0 ए0पी0जे0 अबुल कलाम ग्राम बदलाव योजना"** के हेतु नोडल विभाग पंचायतीराज विभाग होगा।

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–1
संख्याः1507/XII(1)/2015–96(06)/2015
देहरादून दिनांक 26 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण/उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।